Notes by Akhilesh Kumar (GT Assist. Professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube : A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Unit-3 Negotiable instrument Act, 1881

Easy to Understand the concept

चेक (Cheque) का रेखांकन(Crossing of Cheques)

चेक (Cheque) किसी विशिष्ट बैंक पर लिखा गया आवेश होता है जो सदैव माँग पर देय होते है | यदपि चेक (Cheque) का लेखक में किसी शर्त को नही लिख सकता है, परन्तु वह भुगतानकर्ता बैंकर को चेक (Cheque) के भुगतान के सम्बन्ध में विशेष निर्देश दे सकता है | चेक (Cheque) का भुगतान सुरक्षित करने के उदेश्य से चेक (Cheque) को लेखक को रेखांकन करने की अनुमति द्वारा दी गई है |

रेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा (meaning and definition of crossing) – रेखांकन में अभिप्राय एक ऐसा उपकरण से है जिसके द्वारा चेक (Cheque) को केवल किसी चेक (Cheque) अथवा रेखांक से अभिप्राय का ऐसा उपकरण से है जिसके द्वारा बैंकों को केवल किसी चेक (Cheque) अथवा किसी विशिष्ट बैंक के माध्यम से देय बना दिया जाता है |

(Crossing is a device by which cheques are made payble only through a bank or a particular bank)

इसके द्वारा चेक (Cheque) का लेखक अपने बैंकर की यह आदेश देता है की बैंक का भुगतान चेक (Cheque) के प्रापक को बैंक के काऊण्टर पर नकदी में न किया जाये वरन् चेक (Cheque) भुगतान किसी बैंकर को ही किया जाये / जिस बैंक पर ऐसा आदेश होता है उसे रेखांकित चेक (Cheque) कहते है /

भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 123 के अनुसार, "जब किसी चेक (Cheque) के मुख-पृष्ठ (Face) अपरक्राम्य (Negotiable) या 'केवल प्रापक के खाते में' (A/c payble only) या बैंक का नाम (name of the bank) आदि शब्द लिख दिया जाता है, अथवा केवल दो तिरछी रखायें खींच दी जाती है यह क्रिया रेखांकन कहलाती है /"

विशेषतायें -

1. रेखांकन के लिये दो समान्तर तिरछी रेखायें खींचना आवश्यक है,

2. दो समान्तर तिरछी रेखायें चेक के मुख पृष्ठ पर बायीं और खींचना आवश्यक है,

3. रेखांकित चेक का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही हो सकता है,

4. दो तिरछी रेखायें के बिच कुछ शब्द लिखे जा सकते है अथवा केवल दो तिरछी रेखायें ही खींच दी जाती है |

रेखांकन का उदेश्य (Object of crossing) –

- रेखांकन का प्रमुख उदेश्य चेक को सुरक्षित बनाना होता है ताकि उसमें वास्तविक स्वामी को ही उसका भुगतान प्राप्त हो सके |
- रेखांकित चेक का भुगतान बैंक के काऊण्टर पर नही किया जा सकता केवल भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करके किया जाता है अथवा किसी अन्य बैंक के जरिये किया जाता है |

- स्पष्ट है की रेखांकित चेक का भुगतान प्राप्त करने वाले का किसी न किसी बैंक में खाता होना आवश्यक है |
- यदि खाता न हो, तब पहले खाता खोलना पड़ता है तभी उसके खाते में रकम जमा करके भुगतान किया जाता है, अथवा
- वह किसी ऐसे व्यक्ति के नाम जिसका बैंक में खाता है, चेक का पृष्ठांकन करके भुगतान प्राप्त क्र सकता है अत:
- यदि रेखांकित चेक खो जाये या चोरी चला जाये तो इससे कोई नुकसान नही होता क्योंकि भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सरलता से पता लगाया जा सकता है

संक्षेप में चेक का रेखांकन निम्नलिखित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए किया जाता है -

- ✓ गलत या अनधिकृत भुगतान को रोकना
- ✓ चेक के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा |

✓ चेकों के चलन में सुरक्षा |

रेखांकन के प्रकार (Types of crossing)

रेखांकन मुख्यत: निम्नलिखित दो प्रकार का होता है :

1. साधारण रेखांकन (General Crossing)
2. विशेष रेखांकन (special Crossing)

- **साधारण रेखांकन (General Crossing) –** जब किसी चेक के मुख पृष्ठ पर बाई और दो तिरछी समांतर रेखाएँ खींच दी जाये और उन रेखाओं के बिच में कोई शब्द न लिखा जाये अथवा "एंड कंपनी " केवल आदत के खाते में जमा (A/c Payee only), ... रुपए के अंतर्गत (under rs....) अविनिमी साध्य (not-negotiable) आदि शब्दों में से कोई शब्द लिखा जाये परन्तु इन रेखाओं के बिच किसी बैंक का नाम न लिखा जाये तो ऐसा रेखांकन साधारण रेखांकन कहलाता है स्पष्ट है की साधारण रेखांकन में दो तिरछी समांतर रेखाओं का होना अनिवार्य है रेखाओं के बिच में किसी शब्द का लिखना या न लिखना महत्वहीन होता है |

सामान्य रेखांकन का नमूना

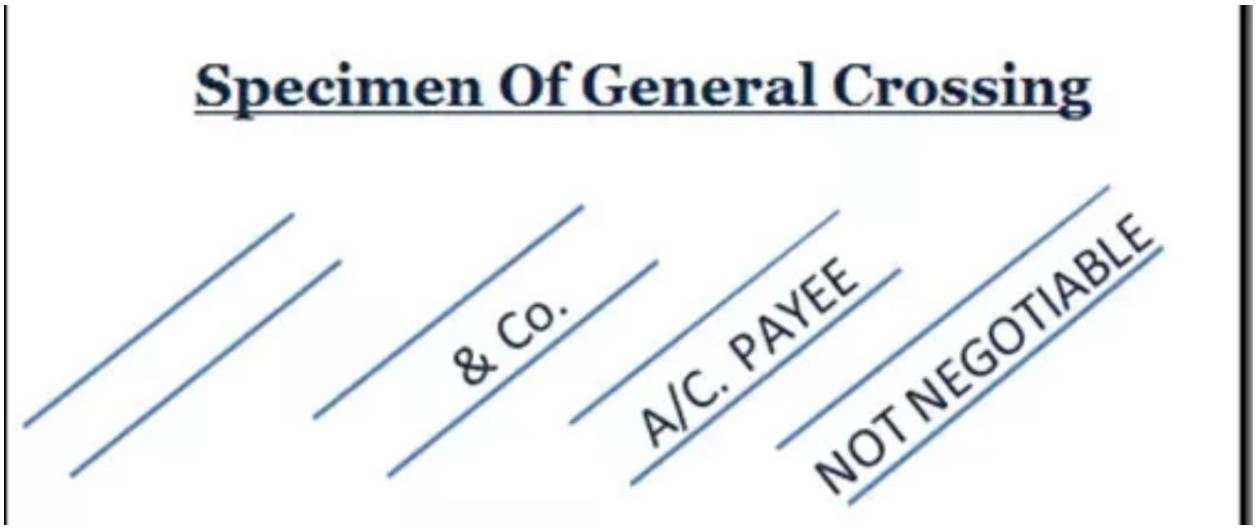

- ***विशेष रेखांकन (special Crossing) – भारतीय विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम की धारा 124 में विशेष रेखांकन की निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया गया है - जब किसी चेक के मुख पृष्ठ पर किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है , चाहे उसके साथ अप्रक्रमी शब्दों लिखे गये ई अथवा नही तो ऐसा नाम जोड़ देने से को रेखांकन समझा जायेगा और चेक विशेष रूप से रेखांकित crossed***

specially समझा जायेगा तथा उसे बैंक के नाम रेखांकित माना जायेगा |

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है की विशेष रेखांकन के लिये चेक के मुख पृष्ठ पर किसी बैंक का नाम लिखा होना अनिवार्य है | यह नाम समानान्तर तिरछी रेखाओं के मध्य ही लिखा जाता हो, यह अनिवार्य नही है | विशेष रेखांकित चेक का भुगतान रेखांकन में उल्लिखित के बैंक अथवा इसके संग्रहकर्ता एजेण्ड बैंक के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है |

विशेष रेखांकन का नमूना

Specimens of Special Crossing

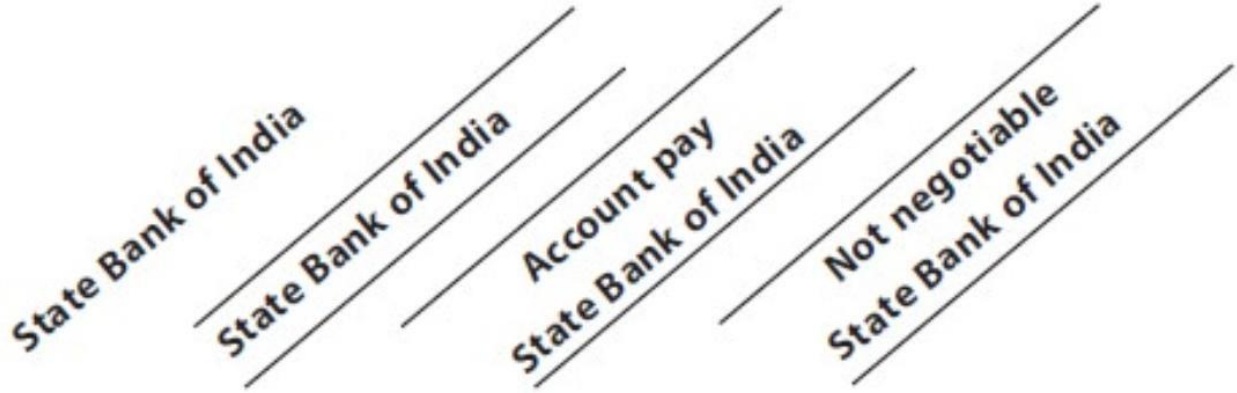

Notes by Akhilesh Kumar (GT Assist. Professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube : A commerce Education

Easy to Understand the concept